निर्णित

न्यायालय जिला कलक्टर, बॉसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 14/2022
रजि. संख्या : 2022/89

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री मनीष कुमार पिता श्री अशोक कुमार रावल, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत डडूका भाग प्रथम निवासी डडूका, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा (राज.)	बनाम	1. श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बॉसवाडा 2. जिला रसद अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा
	उपस्थित	
श्री मनिष कुमार (अपीलार्थी)		विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 12–04–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 43/2020

निर्णय

दिनांक :– 15–03–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री मनीष कुमार पिता श्री अशोक कुमार रावल, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत डडूका भाग प्रथम निवासी डडूका, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण तत्कालिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.08.2020 को किया। जिसमे अनियमितता पाये जाने पर रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 43/2020 दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1258/2005 दिनांक 06.10.2020 [illegible] किया गया तथा बाद सुनवाई अपीलार्थी डीलर द्वारा 320 कि.ग्रा गेहु [illegible] दुरुपयोग किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार [illegible] प्रतिभूति की समस्त [illegible] जब्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सरकार करने दिनांक 12.04.2022 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित व असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट्स को सम्मन जारी किये गए।

दिनांक 11.01.2023 को रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। शिकायत की जांच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेहूं का ट्रान्जेक्शन करना दिखाया, परन्तु वास्तविक रूप से गेहूं नहीं दिया। 08 उपभोक्ताओं द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि डीलर ने उनसे पोस मशीन पर अंगूठा लगवाया परन्तु गेहूं नहीं दिया। डीलर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृत गोदाम के अलावा अन्य गोदाम में गेहूं का भण्डारण किया गया, साथ ही गोदाम में साफ–सफाई के अलावा अन्य गोदाम में गेहूं का भण्डारण किया गया। गोदाम में साफ–सफाई का अभाव था एवं मूल्य सूची बोर्ड आदिनांक अपडेट नहीं था। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II दिनांक 05.08.2016 के अनुसार राशन सामग्री का वितरण पोस मशीन से ही करने एवं वितरण रजिस्टर जारी करने नहीं करने के निर्देश दिए गए है। अतः अपीलार्थी का यह कहना कि नेटवर्क अथवा बिजली के अभाव में गेहूं का वितरण कर दिया जाता है, एवं पोस मशीन में बाद में इन्द्राज किया जाता है। यह कथन असत्य है। उपभोक्ता के बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना [illegible] गेहूं का ट्रान्जेक्शन नहीं दर्शाया जा सकता है। डीलर द्वारा 310 किग्रा. गेहूं एवं 7.50 लीटर [illegible] खुर्द–बुर्द किया गया है साथ ही बिना पूर्व सूचना के स्वीकृत गोदाम के अलावा अन्य स्थान पर गेहूं का भण्डारण किया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

1976 के तहत जारी प्राधिकार–पत्रों की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसी कारण डीलर का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

दिनांक 16.02.2023 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 12.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आठ माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय दिनांक 12.04.2022 की जानकारी दिनांक 29.11.2022 को होने तथा कोरोना काल होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निरतारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत डडूका भाग प्रथम का उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलांट को जिला रसद विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र सं. 1258/2005 जारी किया गया है एवं तदनुसार बिना किसी शिकायत के आवश्यक वस्तुओ का वितरण करता चला आ रहा है। 8 उपभोक्ताओ को [illegible] दा[illegible] व केरोसीन के वितरण में राशनकार्ड व पोस मशिन के ट्रान्जेक्शन में भिन्नता पाई गई है एवं जांच में 320 किलो गेहू, 1 किलो दाल एवं 7.5 लीटर केरोसीन का गबन बिना भौतिक सत्यापन के कम वितरण करना मानकर प्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पत्र को निरस्त किया गया है। अपीलांट के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना संख्या 245/2021 पुलिस थाना गढी में दर्ज करायी गई है।

पुलिस द्वारा दौराने अनुसंधान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की पुष्टि नही होना माना है। उपभोक्ताओ ने अपने शपथ पत्र एवं बयानो में राशन सामग्री पूर्ण मिलना बताया है। सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोई अपराध बनना पाया नही जाकर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 1 दिनांक 11.03.2022 मामला अदम वकुवा तथ्य की भूल का मानकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा ने उक्त अन्तिम रिपोर्ट को साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही देकर दिनांक 12.04.2022 को निर्णय पारित कर दिया है।

ग्राम पंचायत डडूका छोटा गॉव है, जहॉ पर मोबाईल का नेटवर्क पर्याप्त नही आता है, बिजली की भी समस्या रहती है। नेटवर्क नही होने की स्थिति में स्वाभाविक रुप से पोस मशीन में इन्द्राज बाद में नेटवर्क उपलब्ध होने पर कर दिये जाते है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लगाये गए सभी आरोपो का स्पष्ट एवं विस्तृत अनुसंधान कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है। अनुसंधान होने के पश्चात् अन्तिम रिर्पोट में पेश किए गए तथ्यो एवं साक्ष्य को नही मानने का कोई कारण नही है। जिला रसद अधिकारी ने बिना जॉच किए मात्र गवाहन के बयान के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 12.04.2022 जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा का निरस्त फरमावे एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 125[illegible]/2005 को बहाल करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने [illegible] किया कि उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। शिकायत की जांच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेहूं का ट्रान्जेक्शन

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

करना दिखाया, परन्तु वास्तविक रूप से गेहूं नहीं दिया। 08 उपभोक्ताओं द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि डीलर ने उनसे पोस मशीन पर अंगूठा लगवाया परन्तु गेहूं नहीं दिया। डीलर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृत गोदाम के अलावा अन्य गोदाम में गेहूं का भण्डारण किया गया।श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II दिनांक 05.08.2016 के अनुसार राशन सामग्री का वितरण पोस मशीन से ही करने एवं वितरण रजिस्टर जारी करने नहीं करने के निर्देश दिए गए है। अतः अपीलार्थी का यह कहना कि नेटवर्क अथवा बिजली के अभाव में गेहूं का वितरण कर दिया जाता है, एवं पोस मशीन में बाद में इन्द्राज किया जाता है। यह कथन असत्य है। उपभोक्ता के बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना पोस मशीन में गेहूं का ट्रान्जेक्शन नहीं दर्शाया जा सकता है। डीलर द्वारा 310 किग्रा. गेहूं एवं 7.50 लीटर केरोसीन खुर्द–बुर्द किया गया है साथ ही बिना पूर्व सूचना के स्वीकृत गोदाम के अलावा अन्य स्थान पर गेहूं का भण्डारण किया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार–पत्रों की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसी कारण डीलर का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

प्रकरण मे प्रवर्तन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन वह एक औपचारिक एवं आवश्यक पक्षकार है। उनहे सुनने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। तात्कालिक प्रवर्तन [illegible] अनुसार अनियमितता पाये जाने पर अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध जिला रस[illegible] प्रकरण सं. 43/2020 दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 12[illegible]2020 को निलम्बित किया गया तथा बाद सुनवाई अपीलार्थी डीलर द्वारा 320 कि.ग्रा गेहु व 7.50 लीटर केरोसीन खुर्द बुर्द एवं दुरुपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

२०२२/८९

किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूति की समस्त राशि जब्त सरकार करने दिनांक 12.04.2022 को निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा द्वारा पुलिस थाना गढी जिला बाँसवाडा में एक प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 245 दिनांक 04.10.2021 दर्ज करवाई गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिर्पोट पर थानाधिकारी पुलिस थाना गढी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाँसवाडा में प्रस्तुत की गई अन्तिम रिर्पोट की प्रति प्रश्नगत अपील के साथ संलग्न है। थानाधिकारी पुलिस थाना गढी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोई अपराध बनना पाया नही जाकर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 1 दिनांक 11.03.2022 मामला अदम वकुवा तथ्य की भूल का मानकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलार्थी अनुसार उक्त अन्तिम रिपोर्ट को साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–04–2022 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा को नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। अपीलार्थी दिनांक 05–04–2023 न्यायालय जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा में उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा